प्रेषक,

वित्त नियंत्रक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, सहारनपुर/मुजफ्फरनगर/मथुरा/मैनपुरी/बरेली/बिजनौर/हमीरपुर/ बांदा/ मिर्जापुर/ बस्ती/ लखनऊ/ उन्नाव/ रायबरेली/ सीतापुर/हरदोई/लखीमपुर–खीरी/अयोध्या/ सुलतानपुर/ मऊ/ सिद्वार्थ नगर/ महोबा/ अम्बेदकरनगर/चंदौली/ बलरामपुर/ सम्भल।

संख्याः–**1188**/बजट/29(5)/अनु0–83/11/2022–23 दिनांक–03.08.2022

विषयः– **अनुदान सं0–83 के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए बैकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रम योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये धनराशि का आवंटन।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पशुधन अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–55/2022/830/सैतीस–2–2022/001–1(46)/03, दिनांक 10 जून, 2022 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–83 के अधीन लेखाशीर्षक–"2403–पशुपालन–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–06–अनुसूचित जातियों के लिए बैकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मानक मद 43–सामग्री एवं सम्पूर्ति में रू0 150.00 लाख (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की है, जिसके के आधार पर निदेशक, प्रशासन एवं विकास, के पत्र संख्या–456/सात–3/कुक्कुट, दिनांक–02.08.2022 द्वारा दिये गये प्रस्तावानुसार उल्लिखित धनराशि संलग्न **एलामेन्ट ग्रिड रिर्पोट** के अनुसार निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपको ऑवटित की जाती है। शर्तो से विचलन की दशा में आहरण वितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगें।

(1) ऑवटित की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा ।

(2) ऑवटित की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदो में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। लाभार्थियों की सूची विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) आवंटित धनराशि का उपयोग निहित प्रयोजनों के लिए हो, इसका पर्यवेक्षण संबंधित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि मदों में कोई विचलन होता है या निर्धारित प्रयोजनों से इतर धनराशि का व्यय लाभार्थी द्वारा किया जाता है, तो मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे इसकी सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध कराते हुए विचलित धनराशि की वसूली संबंधित लाभार्थी से करें।

(4) योजनान्तर्गत सब्सिडी की धनराशि लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में उपलब्ध कराई जायेगी। किसी भी दशा में सब्सिडी का भुगतान नकद नहीं किया जायेगा।

(5) ऑवटित की जा रही धनराशि को आहरण हेतु, यदि जनपद स्तर पर आहरण वितरण अधिकारी हों, तो संबंधित जनपदों को आवंटित किया जाय तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त आहरण न किया जाय।

(6) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुडस)–2016 एंव विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(7) विज्ञापन, प्रकाशन एंव प्रचार–प्रसार के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों एंव सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगें कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(9) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।

(10) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(11) ऑवटित की जा रही धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाये।

(12) ऑवटित की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

(13) ऑवटित की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में प्रशासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) ऑवटित की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–15/2021/बी–1–829/दस–2021–231/2021, दिनांक–30.12.2021 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0–बी–1–1195/दस–16/94, दि0–06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(15) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–83 के अधीन ''लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–06–अनुसूचित जातियों के लिए बैकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रम–43–सामग्री एवं सम्पूर्ति'' के नामे डाला जायेगा।

(16) आवंटित की जा रही धनराशि की प्रविष्टि आवंटन रजिस्टर में क्रम सं0–11 (अनु0–83) पर अंकित कर ली गयी है।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय,

/

(महेन्द्र कुमार भट्ट)
वित्त नियंत्रक।

संख्याः–**1188**/बजट/29(5)/अनु0–83/11/2022–23तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट–लखनऊ/ सहारनपुर/ मुजफ्फरनगर/ मथुरा/ मैनपुरी/ बरेली/ बिजनौर/हमीरपुर/ बांदा/ मिर्जापुर/ बस्ती/ उन्नाव/रायबरेली/ सीतापुर/हरदोई/ लखीमपुर–खीरी/ अयोध्या/सुलतानपुर/मऊ/सिद्वार्थ नगर/महोबा/अम्बेदकरनगर/चंदौली/बलरामपुर/सम्भल।

2– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी–प्रथम/लेखानुभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

3– अनुसचिव, पशुधन अनुभाग–2, उ0प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ ।

4– निदेशक,प्रशासन एवं विकास,पशुपालन विभाग,उ0प्र0,लखनऊ ।

5– योजनाधिकारी अपर निदेशक (कु0), मु0 को उनके पत्र सं0–456/सात–3/कुक्कुट, दिनांक–02.08.2022 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि योजना से संबंधित कार्ययोजना/गाईडलाइन्स समस्त संबंधित आ0वि0अधि0 को तत्काल उपलब्ध कराये तथा योजना में व्यय की सघन समीक्षा कर ऑवटित धनराशि का व्यय सुनिश्चित करायें।

6– समस्त संबंधित अपर निदेशक ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश ।

7– संयुक्त निदेशक (नियोजन),मुख्यालय ।

8– कम्प्यूटर सुपरवाइजर,मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ऑवटन को विभागीय वेवसाइड पर फीड करने का कष्ट करें ।

9– व्यय सहायक, बजट अनुभाग,मुख्यालय ।

(महेन्द्र कुमार भट्ट)
वित्त नियंत्रक।

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-03/08/2022

प्रेषण संख्या:-	1188
आवंटन आदेश संख्या:-	001-29-5-ANU-83-11-2022-23
अनुदान संख्या:-	83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:-	2403 - पशु पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
06 - अनुसूचित जातियों के लिए बैकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रम

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	सहारनपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
2	मुज़फ्फर नगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
3	मथुरा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
4	मैनपुरी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
5	बरेली-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
6	बिजनौर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
7	हमीरपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
8	बांदा -2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
9	मिर्ज़ापुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
10	बस्ती-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
11	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
12	उन्नाव-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
13	रायबरेली-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
14	सीतापुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
15	हरदोई-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
16	लखीमपुर खीरी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
17	अयोध्या-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
18	सुल्तानपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
19	मऊ-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
20	सिद्धार्थनगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
21	महोबा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
22	अम्बेदकर नगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
23	चन्दौली-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
24	बलरामपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
25	सम्बल-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
	योग	वर्तमान प्रगामी	15000000 15000000	15000000 15000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ पचास लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ पचास लाख

(महेंद्र कुमार भट्ट)
वित्त नियंत्रक